हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन, खलीनी, शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48 (2) के दृष्टिगत तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या–1–487/99–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पूर्वाकेक्षण के आधार पर किया गया है।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि लाख में (₹)
1	विपणन बोर्ड की विभिन्न मण्डी समितियों से मण्डी शुल्क के रूप में 25**%** की दर से दिनांक 31.3.15 को वसूली योग्य राशि का शेष पाया जाना	4 (ख) (ii)	475.91
2	विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाये गये डिपोजिट कार्यों के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में अन्तर पाया जाना	5	81.90
3	Income Tax Recoverable Account की वसूली योग्य राशि का समायोजन न करना	6	375.72
4	निर्माण कार्यों के लिए दी गई अग्रिम राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	7	47.72
5	कर्मचरियों/अधिकारियों अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	8	0.84
6	चालू देनदारियों/संविदाकारों की प्रतिभूतियों से सम्बन्धित राशि का विवरण न दिया जाना	12	61.95

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण परीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने पर अनिर्णीत पैरों की स्थिति **परिशिष्ट "क"** के अनुसार दर्शाई गई है। अतः अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीध्र आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से इस कार्यालय को शीध्र अवगत करवाया जाए।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री जगजीत सिंह पटियाल सहायक नियन्त्रक, श्री संजीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पूर्व लेखा परीक्षा प्रणाली के आधार पर किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया। विपणन बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा में कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाये जाने के कारण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षण शुल्क ₹1048285 (दस लाख अठत्तालिस हजार दो सौ पच्चासी) आंका गया। उक्त राशि को निवासी अंकेक्षण योजना के पत्र संख्या फिन (एल0ए0) नि0अं0यो0हि0प्र0रा0कृ0वि0बो0—138 दिनांक 24.9.2016 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड, शिमाला—2 को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

4 वार्षिक लेखें (Annual Accounts)

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के वार्षिक लेखें चार्टड आकऊटैन्ट द्वारा तैयार किए गए। वार्षिक लेखों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

(ख) Financial Analysis on the Accounts of H.P State Agricultural Marketing Board Shimla for the period 1/4/14 to 31/3/15

Financial Data for the last three years

Income (in Lacs)

Period	**Share of Market Fees/Usercharges from APMC**	**Interest on FDR"s and Saving A/C**	**Other Income**	**Total Income**
2012-13	645.65	287.27	6.68	939.60
2013-14	509.52	266.22	6.54	782.28
2014-15	1244.26	318.67	3.81	1566.74

Expenditure (in Lacs)

Period	**Salary +wages**	**Admn. Charges**	**Vehicle R+M**	**Other Exp.**	**Excess of Income over Exp.**	**Total**
2012-13	205.25 (21.84%)	19.38 (2.06%)	9.41 (1.00 %)	24.21	681.35	939.60
2013-14	202.96 (25.94%)	33.79 (4.31 %)	12.02 (1.53 %)	32.35	501.16	782.28
2014-15	246.62 (15.74%)	32.84 (2.09 %)	9.74 (0.62 %)	33.46	1244.08	1566.74

Note:- (Figures mentioned in the brackets are expressed as % of total income)

(i) A review of Financial Data of H.P State Agricultural Marketing Board for the last three years enumerated above reveals that there is a increase in the income of the Board in the year 2014-15 as compared to 2012-13 & 2013-14. The major reasons for this increase is due to realization of more market fee/User charges etc. from Market Committees. It is pertinent to mention here that during the year 2014-15, 25% share of market fees/user charges etc. Amounting to ₹1566.74 lacs have being realized by Market Board from various Marketing Committees as compared to ₹782.28 lacs which was realized during the period for 2013-14.

(ii) Out Standing share of Market Fee/user charges of Marketing Board as on 31.3.2015 ₹475.91 lacs:-

It is also noticed from the record that the outstanding amount of 25% share of Market Fee/user charges as on 31-3-15 is ₹475.91 Lacs (परिशिष्ट "ग") Therefore, efforts may be made for realizing the outstanding market fees/user charges because as per provisions contained under section – 44 of H.P State, Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act –2005, every market committee is required to charge market fee/user on sale and purchase of notified agricultural produce @ (1%) and further as per provisions contained under section 49(3) of the Act, 25% share of market fee/user so received shall be deposited by all the Market Cmmittees with the Board.

(ग) Staff/Man power of the Board :-

The position of total sanctioned posts of the Board, filled up post and vacancy position for the last three years is as under:-

Year	Total Sanctioned Post	Filled up posts	Vacant
2012-13	60	41	19
2013-14	57	42	15
2014-15	58	44	14

Note:- The detailed position of various posts for the year 2014-15 is given in (परिशिष्ट घ) which is attached with this audit report.

उक्त (परिशिष्ट–घ) का अवलोकन करने पर पाया गया कि विपणन बोर्ड द्वारा एक पद अधीक्षक ग्रेड–2 एक पद लिपिक और एक पद चालक का बिना सृजित पद के विरूद्ध भरा है। इन तीन पदों को सृजित पदो के बिना भरा जाना गम्भीर आपत्तिजनक है। अतः इन पदों को भरने का औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाये।

5 विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गये डिपोजिट कार्यो के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में ₹81.90 लाख का अन्तर पाया जाना:–

विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गये डिपोजिट कार्य हेतु समय–समय पर धन राशि प्राप्त की गई है। इन कार्यो के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों को भुगतान करने के लिए अधिशाषी अभियन्ता को अग्रिम राशि भुगतान की गई है तथा शेष राशि को समिति–वार बैंक खातों में रखा गया दर्शाया गया है। विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए किए गए कार्यों से सम्बन्धित असमायोजित राशियों को अनुसूचि–II में दर्शाया गया है तथा दिनांक 31.3.2015 को "Capital Work in Progress"

शीर्ष के अन्तर्गत (₹262332392–₹1659703=₹260672689) के कार्य Assests के रूप में दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन डिपोजिट कार्यो के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों को भुगतान करने के लिए अनुसूचि–III में Assets के रूप में दिनांक 31.3.2015 को अधिशाषी अभियन्ता के खाते में ₹122101707 शेष दर्शाई गई है। इस प्रकार इस शीर्ष में विपणन बोर्ड के Assets के रूप में (₹260672689+₹122101707=₹382774396) दर्शाई गई है। उक्त ₹382774396 के विरूद्ध विपणन बोर्ड के तुलन पत्र में इन डिपोजिट कार्यो हेतु विभिन्न समितियों से प्राप्त राशियों के को अनुसूचि–IV में दर्शाया गया है तथा दिनांक 31.3.2015 में "Current Liabilities" शीर्ष के अन्तर्गत ₹368418113 असमायोजित दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचि–IV में ही ठेकेदारों को ₹6165619 प्रतिभूति (Security) के रूप में देय है। इस प्रकार विपणन बोर्ड द्वारा इन निर्माण कार्यो से सम्बन्धित कुल देनदारियां (₹368418113+₹6165619=₹374583732) दर्शाई गई है। इस प्रकार विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गए डिपोजिट वर्कस/कार्यो के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में (₹382774396–₹374583732=₹8190664) का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की इस राशि की संस्था स्त्तर पर पूर्ण छानबीन करके राशियों का मिलान किया जाए तथा इन सभी राशियों को समायोजित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 Income Tax Rececoverable Account की वसूली योग्य ₹375.72 लाख का समायोजन न करनाः–

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र के अनुसूचि–III में "Current Assets, Loans and Advances" लेखाशीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2015 को आयकर वापसी खाते में ₹37572150 समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई है। इस लेखा शीर्ष की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राशि वर्ष 2004–05 से संचित होती आ रही है तथा दिनांक 31.3.2015 को इस असमायोजित राशि का शेष ₹37572150 था। अतः विपणन बोर्ड को सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकरण में भी त्वरित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाये।

7 निर्माण कार्यों के लिए दी गई अग्रिम ₹47.72 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की अनुसूचि–III में "Current Asstes Loans and Advances" लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2015 को निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम

राशि के खाते में ₹4771990 का शेष दर्शाया गया है। इस लेखा शीर्ष की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राशियॉ विभिन्न संस्थाओं को निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु भुगतान की गई है लेकिन इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र विपणन बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं किये गये है और न ही इन राशियों का समायोजन किया गया है। अतः भुगतान की इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके तदानुसार इन राशियों का समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम ₹0.84 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :–

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र के अनुसूचि–III में "Advances to staff" लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2015 को अधिशाषी अभियन्ता को दिए गए अग्रिम House Building Advance व शिक्षा ऋण के अतिरिक्त स्टॉफ अग्रिम एवं अन्य संस्थाओं के खाते में ₹84000 समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	श्री संजय जोशी, विधि अधिकारी	20000
2	श्री अरविन्द कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	35000
3	श्री मोहन लाल ड्राईवर	10000
4	श्री जगदीश राज क0 अभियन्ता	10000
5	श्री मुकेश पाल जे0डी0एम0	9000
	योग	**₹84000**

अतः उपरोक्त असमायोजित अग्रिम राशियों का समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस राशि का समायोजन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

9 विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न बैंक खातों में जमा ₹1320.70 लाख तथा सावधि खाता के के खाते में जमा ₹3853.94 लाख तथा (सी0पी0एफ0) के सावधि/बचत खाता में जमा ₹12671.19 लाख के बारे में:–

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की अनुसूचि III में दिनांक 31.3.15 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में ₹132069978 जमा दर्शाई गई परन्तु इन खातों में दर्शाई गई राशियों का मिलान विपणन बोर्ड द्वारा बैंक विवरणी तैयार करके तथा बैंक सर्टिफिकेट/बैंक स्टेटमैन्ट इत्यादि से नहीं किया गया। अतः इन राशियों का मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को

अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की अनुसूचि III के अनुसार दिनांक 31.3.15 को सावधि जमा योजना में निवेशित ₹385393520 दर्शाई गई है जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त विपणन बोर्ड द्वारा सी0पी0एफ0 से सम्बन्धित सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में भी (₹111173304+₹15545646=₹126718950) निवेशित की गई है जिसमें से सावधि जमा योजना में निवेशित ₹111173304 का विवरण **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है।

10 हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तुलन पत्र में अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) के खातों को गलत सम्मिलित किया जानाः–

हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि तुलन पत्र में अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) की देनदारियों व निवेशों को भी सम्मिलित किया गया है, जोकि नियमानुसार सही नहीं है। इससे विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति सही एवं वास्तविक परिलक्षित नहीं होती। अतः इसे अलग से दर्शाया जाये।

11 सी0पी0एफ0 लेखों में दायित्व के अन्तर के बारे मेंः–

विपणन बोर्ड के वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र दायित्व पक्ष में अनुसूचि–IV में (₹65721620+₹61464097+₹723956=₹127909673) दायित्व के रूप में दर्शाई गई है जबकि अंशदान भविष्य निधि रजिस्टर तथा उससे सम्बन्धित प्रस्तुत विवरणी जो कि **परिशिष्ट "छ"** पर संलग्न है के अनुसार भविष्य निधि के खातों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्त में ₹124299561 देय थी। इस प्रकार अंशदायी भविष्य निधि के खातों में (₹127909673–₹124299561=₹3610112) दायित्व पक्ष में अधिक दर्शाई गई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

12 चालू देनदारियॉ/संविदाकारों की प्रतिभूतियों से सम्बन्धित ₹61.95 लाख का विवरण न दिए जाने बारेः–

विभिन्न संविदाकारों की प्रतिभूतियों से सम्बन्धित ₹6195365 की देनदारियॉ अनुसूचि–IV में दर्शाई गई है। इन राशियों का प्रति व्यक्ति/ठेकेदार से सम्बन्धित देनदारी का विस्तृत विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः उक्त विवरण तैयार करके तथा इनका प्रतिभूति रजिस्टर तथा सम्बन्धित अभिलेख के साथ मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को

अवगत करवाया जाए ताकि विभिन्न संविदाकारों की प्रतिभूति राशियों की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

13 विभिन्न विभागों से विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त राशियों के बारे में:–

विपणन बोर्ड तुलन–पत्र की उक्त अनुसूचि–IV में विभिन्न विभागों में विभिन्न कार्यो हेतु प्राप्त की राशियों के बारे में भी पूर्ण विवरण अभिलेख सहित दिया जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाएं कि यह राशियाँ किन–2 उद्देश्यों हेतु प्राप्त की गई है।

14 विभिन्न विपणन समितियों के निर्माण कार्यों पर खर्च की गई ₹2606.73 लाख को "Work in Progress" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाना:–

विपणन बोर्ड के वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र की अनुसूचित–II में "Work in progress" शीर्ष के अन्तर्गत ₹262332393 बोर्ड की सम्पति के रूप में दर्शाई गई है, जिसमें (₹262332393–₹1659703=₹260672690) विभिन्न विपणन समितियों के निर्माण कार्यों पर खर्च की गई है, जोकि बोर्ड की सम्पत्ति नहीं है। इस प्रकार उक्त राशि गलत तरीके से बोर्ड की सम्पत्ति के साथ में दर्शाने से बोर्ड की सम्पत्ति एवं दायित्यों की सहीं एवं वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती। अतः इस राशि को विभिन्न समितियों से प्राप्त अग्रिम राशि से कम करके इसे उचित शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 भूमि एवं भवन (Land and Building) पर मूल्य ह्रास (Depreciation) की राशि में भूमि के मूल्य पर भी ह्रास की राशि को भी दर्शाया जाना:–

विपणन बोर्ड के वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र की अनुसूची–1 के "Fixed Asstes" शीर्ष के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 में "Fixed Assets" पर मूल्य ह्रास की ₹1823671 दर्शाई गई है, जिसमें भूमि एवं भवन के मूल्य ह्रास की ₹481260 भी शामिल है। आयकर अधिनियम में भूमि पर मूल्य ह्रास का कोई प्रावधान नहीं है। अतः भूमि एवं भवन की लागत जो ₹48126612 है, में से भूमि की लागत को अलग किया जाए तथा केवल भवन की लागत पर ही मूल्य ह्रास लगाया जाए ताकि विपणन बोर्ड के लाभ व हानि की सही स्थिति परिलक्षित हो।

16 रिट्रैचमैन्टः–

वर्ष 2014–15 के दौरान ₹219410 की कटौती बोर्ड के विभिन्न बिलों के पूर्वा अंकेक्षण के दौरान की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में विपणन बोर्ड में आन्तरिक जाँच

की प्रणाली को सुदृढ़ करके सभी प्रकार के बिलों को उचित जाँच उपरान्त ही इसे अंकेक्षण में पारित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए।

17 निष्कर्षः—

लेखाओं के रख रखाव में उचित सुधार हेतु आन्तरिक पर्यवेक्षण को मजबूत किया जाना आवश्यक है। विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों से दिनांक 31.3.2015 तक ₹475.91 लाख बतौर मण्डी शुल्क/यूजर चार्जिज का 25 प्रतिशत भाग वसूली हेतु शेष है, जिसकी वसूली हेतु विशेष पग उठाये जाने की आवश्यकता है, ताकि उक्त राशि का विपणन बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन अधिनियम की धारा 46 (4) के अन्तर्गत प्रावधनित प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त विपणन बोर्ड के 154 पैरे बकाया है। इन पैरों के निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है व पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कदम उठाये जाने अपेक्षित है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0—0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)30/76 खण्ड—10—1468—1470 दिनांक,27.02.2018 शिमला—9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002

पंजीकृतः—2 प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला—171002 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह इसमें सम्मिलित पैरों पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करवाएं।

3 सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा), प्रभारी अंकेक्षण योजना हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला—171002, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित की जाती है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0—0177—2620881

परिशिष्ट "क" पैरा 1 (ग)

(क) अवधि 04/1983 से 03/1984

बोर्ड के अवधि 4/1983 से 3/1984 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियों पर की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित नहीं किया गया जिस पर अभी भी कार्रवाई अपेक्षित है। अतः लम्बित आपत्तियों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई करके अनुपालना से यथाशीघ्र अंकेक्षण को सूचित किया जाए। अवधि 4/1983 से 3/1984 के अनिर्णीत पैरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	पैरा–2 (a) to (c)	अनिर्णीत
2	पैरा–3	अनिर्णीत
3	पैरा–4	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (a) to (b)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (a) to (c)	अनिर्णीत
6	पैरा–7	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (a) to (c)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (a) to (b)	अनिर्णीत
9	पैरा–10	अनिर्णीत
10	पैरा–11	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (a) to (i)	अनिर्णीत
12	पैरा–13 (a) to (C)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (a) to (e)	अनिर्णीत
14	पैरा–15 (i) to (xi)	अनिर्णीत
15	पैरा–16 (i) to (xxiv)	अनिर्णीत

(ख) अवधि 4/2001 से 3/2003

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–11 (1)	अंशतः निर्णीत	(श्री अशोक वत्तस, कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता के क्रमशः ₹14953 तथा ₹16428 के प्रतिनियुक्ति भते

			वसूली हेतु शेष है)
3	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–20 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–23	अनिर्णीत	
8	पैरा–24 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–24 (3) (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–25	अंशतः निर्णीत	(श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता से ₹1615 की वसूली हेतु शेष है)
11	पैरा–30	अनिर्णीत	(श्री सुख राम कनिष्ठ अभियन्ता को भुगतान की गई ₹95316.00 समायोजन हेतु शेष है)
12	पैरा–31 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–32	अनिर्णीत	
14	पैरा–33 (1) (2)	अनिर्णीत	
15	पैरा–33 (3) (4)	अनिर्णीत	
16	पैरा–33 (5 से 7)	अनिर्णीत	
17	पैरा–33 (9 से 17)	अनिर्णीत	
18	पैरा–34 (1 से 14)	अनिर्णीत	
19	पैरा–35 (1 से 15)	अनिर्णीत	
20	पैरा–36 (1 से 4)	अनिर्णीत	
21	पैरा–36 (6)	अनिर्णीत	
22	पैरा–36 (10)	अनिर्णीत	
23	पैरा–40 (1 से 4)	अनिर्णीत	
24	पैरा–41 (1 से 4)	अनिर्णीत	
25	पैरा–45 (1 से 3)	अनिर्णीत	
26	पैरा–48 (1 से 2)	अनिर्णीत	
27	पैरा–50	अनिर्णीत	

28	पैरा–51	अनिर्णीत
29	पैरा–52 (1 से 11)	अनिर्णीत
30	पैरा–56 (3, 4)	अनिर्णीत
31	पैरा–59 (1, 2, 5)	अनिर्णीत
32	पैरा–61 (3)	अनिर्णीत
33	पैरा–86 (1)(2)	अनिर्णीत

(ग) अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा–(5) (6) (8) (9) (10)	अनिर्णीत
2	पैरा–16 (घ)(ड़)	अनिर्णीत
3	पैरा–18 (छ)	अनिर्णीत
4	पैरा–20 (ड.)	अनिर्णीत
5	पैरा–22 (1) (2)(3) (क)(4) (क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–23 (क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत
7	पैरा–27(1)(2)	अनिर्णीत
8	पैरा–31	अनिर्णीत
9	पैरा–32	अनिर्णीत
10	पैरा–35 (क)(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा– 37	अनिर्णीत
12	पैरा– 38	अनिर्णीत
13	पैरा– 43	अनिर्णीत
14	पैरा– 45 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा–46	अनिर्णीत
16	पैरा– 47	अनिर्णीत
17	पैरा– 48	अनिर्णीत
18	पैरा–49	अनिर्णीत
19	पैरा–50	अनिर्णीत
20	पैरा–53	अनिर्णीत

(घ) अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–16	अनिर्णीत
11	पैरा–18	अनिर्णीत
12	पैरा–19	अनिर्णीत
13	पैरा–20	अनिर्णीत
14	पैरा–21	अनिर्णीत
15	पैरा–22	अनिर्णीत
16	पैरा–23	अनिर्णीत
17	पैरा–24	अनिर्णीत
18	पैरा–25	अनिर्णीत
19	पैरा–26	अनिर्णीत
20	पैरा–28	अनिर्णीत
21	पैरा–29	अनिर्णीत
22	पैरा–30	अनिर्णीत

(ङ) अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–(5,7)	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अंशतः निर्णीत

4	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा– 14	अनिर्णीत
6	पैरा–15	अनिर्णीत
7	पैरा–16	अनिर्णीत
8	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा–18	अनिर्णीत
10	पैरा–20	अनिर्णीत

(च) अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अंशतः निर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–16	अनिर्णीत
9	पैरा–17	अनिर्णीत
10	पैरा–19	अनिर्णीत
11	पैरा–20	अनिर्णीत

(छ) अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–(6,7)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत

8	पैरा–15	अनिर्णीत
9	पैरा–16	अनिर्णीत
10	पैरा–17	अनिर्णीत
11	पैरा–20	अनिर्णीत
12	पैरा–21	अनिर्णीत
13	पैरा–22	अनिर्णीत
14	पैरा–23	अनिर्णीत
15	पैरा–24	अनिर्णीत

(ज) अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–(6, 7, 8, 9, 10)	अनिर्णीत
3	पैरा–12	अनिर्णीत
4	पैरा–15	अनिर्णीत
5	पैरा–16	अनिर्णीत

(झ) अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–(6, 7, 8, 9)	अनिर्णीत

(ण) अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा– 14	अनिर्णीत
2	पैरा– 15	अनिर्णीत

(ट) अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा– 15	अनिर्णीत

(ठ) अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा–15	अनिर्णीत

(ड) अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा–3	अनिर्णीत	
2	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई गई है)

3	पैरा–5	निर्णीत
4	पैरा–6	निर्णीत
5	पैरा–7	निर्णीत
6	पैरा–8	निर्णीत
7	पैरा–9	निर्णीत
8	पैरा–10	निर्णीत
9	पैरा–11	निर्णीत
10	पैरा–12	निर्णीत
11	पैरा–13	निर्णीत
12	पैरा–14	निर्णीत
13	पैरा–15	निर्णीत
14	पैरा–16	निर्णीत
15	पैरा–17	अनिर्णीत
16	पैरा–18	अनिर्णीत
17	पैरा–19	रिट्रैंचमैन्ट (नवीनतम वर्तमान स्थिति पुनः वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई गई है)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	153
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लगाए गए पैरे	15
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निपटाए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैरे	14
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/14 से 3/15 तक)	154